## पासपोर्ट जारी करने/नवीकरण/पृष्ठांकन के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान करने हेतु आवेदन Application for the Grant of No Objection Certificate for Issue/Renewal/Endorsement of a Passport

of a Passport							
1	नाम/ Name						
2	पदनाम/Designation						
3	अनापत्ति प्रमाण पत्र का उद्देश्य						
	Purpose of No Objection Certificate						
4	देश का नाम/यात्रा का समय						
	Name of the Country/time to visit						
5	विदेश में रिश्तेदार(रों) का पूरा पता और						
	व्यवसाय						
	Full address and Occupation of						
	relative(s) abroad						
6	क्या आवेदक किसी निर्दिष्ट् अवधि के लिए						
	भा.कृ.अनु.प. की सेवा करने के लिए अनुबंध						
	के तहत है।						
	Whether applicant is under bond to serve						
	the ICAR for any specified period.						
7	क्या अधिकारी द्वारा भा.कृ.अनु.प./						
	के.मा.शि.सं. को किसी बकाया राशि का						
	भुगतान किया जाना है। यदि हां, तो क्या						
	देयराशियों का भुगतान सुनिश्चित करने के						
	लिए कोई प्रतिभूति है और यदि नहीं, तो कि						
	भा.कृ.अनु.प./के.मा.शि.सं. को देय भुगतान						
	कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है।						
	Whether any dues to be paid by the						
	officer to ICAR/CIFE. If so, is there any						
	security to ensure payment of dues and if						
	not how it is proposed to safeguard the payment due to ICAR/CIFE.						
8	वे सेवा में कब से कार्यरत हैं?						
	When did he join service						
9	उन्होंने इसके लिए राशि कैसे बचाई है?						
	How has he/she saved the amount						
10	सम्मिलित व्यय						
	Expenditure involved						
11	अधिकारी विदेश में अपने प्रवास के दौरान						
	अपने जीवनयापन की व्यवस्था और विदेश में						
	होने वाले व्यय का प्रबंधन कैसे करेंगे?						
	How has the Officer proposes to						
	maintain during his stay abroad and how						
	he proposes to meet the expenditure						
	abroad.						

मैं एतद्वारा वचन देता हूं: I hereby undertake:

- i) मैं भा.कृ.अनु.प. के पूर्व अनुमोदन के बिना वित्तीय सहायता के लिए किसी भी विदेशी एजेंसी से संपर्क नहीं करूंगा।
  - I shall not approach any foreign agency for financial assistance without prior approval of ICAR.
- ii) मैं भा.कृ.अनु.प. के अलावा किसी भी विदेशी एजेंसी के साथ किसी भी प्रकार का पत्राचार नहीं करूंगा।
  - I will not enter into any kind of correspondence with any foreign agency except through ICAR.
- iii) इस प्रकार दी गई अनुमित में भा.कृ.अनु.प./भारत सरकार की ओर से मुझे अपनी हकदार श्रेणी के अतिरिक्त विदेशी मुद्रा प्रदान करने की कोई प्रतिबद्धता शामिल नहीं है।
  - The permission so granted will not involve any commitment on the part of ICAR/Govt. of India to release foreign exchange to me in addition to what I am normally/usually entitled.
- iv) मैं विदेश में किसी ऐसी गतिविधि में भाग नहीं लूँगा, जो केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण नियम), 1964 के प्रावधानों, जिनको समय-समय पर संशोधित किया गया है और भा.कृ.अनु.प. के कर्मचारियों पर लागू किया गया है, का उल्लंघन करती हो। I will not take part in any activity abroad which would contravene the provisions of the CCS (Conduct rules). 1964 as amended from time to time and as made applicable to the employees of ICAR.
- v) अगर छुट्टी मंजूर होती है तो, मैं छुट्टी खत्म होते ही ड्यूटी पर लौटूँगा और मैं छुट्टी नहीं बढ़ाऊँगा।
  - I will return to duty immediately after the completion of the leave, if the leave is sanctioned and I will not ask for any extension of leave.

12. प्रभाग/केंद्र के प्रमुख की सिफारिशें

Recommendations of the Head of the Division/Station.